# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 335 सन 2019

अनवान :–

1. दुलीचन्द पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**वादी**

**बनाम**

1. राजेराम पुत्र मामचन्द जाति जाट साकिन दुर्जाना **तहसील नोहर जिला** हनुमानगढ।
2. धनपत पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. रामप्यारी पुत्री राजकोर पत्नी अमरसिह जाति जाट साकिन श्याडवा तहसील व जिला हिसार
4. फुलादेवी पुत्री राजकोर पत्नी हजारीराम जाति जाट साकिन श्याडवा तहसील व जिला हिसार
5. चन्द्रावली पुत्री राजकौर पत्नी मधाराम जाति जाट साकिन श्योराणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. समा पुत्री राजकोर पत्नी सुलतान जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. धापा पुत्री राजकोर पत्नी रेखाराम जाति जाट साकिन गागडवास तहसील राजगढ जिला चुरू
8. दीपचन्द पुत्र सोहन जाति जाट साकिन गागडवास तहसील राजगढ जिला चुरू
9. सभाकोर पुत्री सोहन जाति जाट साकिन गागडवास तहसील राजगढ जिला चुरू
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 21/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही दुर्जाना के खसरा न0 95/14.5060 ,96/0.7080 ,100/0.5060 ,101/2.2760 कुल 17.9960हैक भूमि में से मृतक राजकोर बेवा मामचन्द के नाम 200–3/4 हिस्सा दर्ज है।

राजकोर पत्नि मामचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं पुत्री भागा के वारीस 8 ,9 है भागा फोत हो चुकी है राजकोर पत्नि मामचन्द के देहान्त होने पर राजकोर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है।

राजकोर पत्नि मामचन्द ने अपने जीवनकाल में 110 हिस्सा भूमि का बेचान किया जाकर उसका प्रतिफल प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को बाट दिया गया था अब वर्तमान राजकोर के नाम से रोही मौजा दुर्जाना में कुल 200–3/4 हिस्सा दर्ज है।

राजकोर के जायज वारिसान में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 जो वादी की बहने एवं एक बहन जो भागा जो फोत हो गई है के वारिस है अर्थात भानजे/ भानजी है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

सहायक कलक्टर (राजस्व)

नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम उनके वाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि राजकोर उनकी माता/नानी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानूनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही दुर्जाना के खसरा नं0 95/14.5060 ,96/0.7080 ,100/0.5060 ,101/2.2760 कुल 17.9960हैक भूमि में से मृतक राजकोर बेवा मामचन्द के नाम 200–3/4 हिस्सा दर्ज है।

राजकोर पत्नि मामचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं पुत्री भागा के वारीस 8 ,9 है भागा फोत हो चुकी है राजकोर पत्नि मामचन्द के देहान्त होने पर राजकोर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है।

राजकोर पत्नि मामचन्द ने अपने जीवनकाल में 110 हिस्सा भूमि का बेचान किया जाकर उसका प्रतिफल प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को बाट दिया गया था अब वर्तमान राजकोर के नाम से रोही मौजा दुर्जाना में कुल 200–3/4 हिस्सा दर्ज है।

राजकोर के जायज वारिसान में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 जो वादी की बहने एवं एक बहन जो भागा जो फोत हो गई है के वारिस है अर्थात भानजे/ भानजी है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
बोहरा

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही दुर्जाना के खसरा न0 95/14.5060 ,96/0.7080 ,100/0.5060 ,101/2.2760 कुल 17.9960हैक भूमि में से मृतक राजकोर बेवा मामचन्द के नाम 200–3/4 हिस्सा दर्ज है।

राजकोर पत्नि मामचन्द जाति जाट का देहान्त हो चुका है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है राजकोर पत्नि मामचन्द के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं राजकोर की एक पुत्री भागा का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ,9 है अर्थात राजकोर पत्नि मामचन्द के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो राजकोर के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की बहने है ने स्वीकार किया जाकर निवेनद किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है। अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर एक प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा होती है अतः वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न0 95/14.5060 ,96/0.7080 ,100/0.5060, 101/2.2760हैक कुल 17.9960हैक भूमि में से मृतक राजकौर बेवा मामचन्द के नाम दर्ज 200–3/4 हिस्सा में वादी 103–3/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 43–1/2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 53–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है राजकोर पत्नि मामचन्द का नाम कलमजन किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/1/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर ( हनुमानगढ )

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. दुलीचन्द पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**वादी**

**बनाम**

1 राजेराम पुत्र मामचन्द जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर **जिला हनुमानगढ।**
2. धनपत पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. रामप्यारी पुत्री राजकोर पत्नी अमरसिह जाति जाट **साकिन श्याडवा तहसील व जिला** हिसार
4. फुलादेवी पुत्री राजकोर पत्नी हजारीराम जाति जाट साकिन श्याडवा तहसील व जिला हिसार
5. चन्द्रावली पुत्री राजकौर पत्नी मधाराम जाति जाट साकिन श्योराणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. समा पुत्री राजकोर पत्नी सुलतान जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. धापा पुत्री राजकोर पत्नी रेखाराम जाति जाट साकिन गागडवास तहसील राजगढ जिला चुरू
8. दीपचन्द पुत्र सोहन जाति जाट साकिन गागडवास तहसील राजगढ जिला चुरू
9. सभाकोर पुत्री सोहन जाति जाट साकिन गागडवास तहसील राजगढ जिला चुरू
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 335 सन 2019 निर्णय दिनांक–** २१/०१/२०२०

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न0 95/14.5060 ,96/0.7080 ,100/0.5060, 101/2.2760हैक कुल 17.9960हैक भूमि में से मृतक राजकौर बेवा मामचन्द के नाम दर्ज 200–3/4 हिस्सा में वादी 103–3/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 43–1/2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 53–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है राजकोर पत्नि मामचन्द का नाम कलमजन किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक २१/१/२०२० को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर (हनुमानगढ )